झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3083 वर्ष 2019

बिस्वास कुमार यादव, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता–स्व0 गोविन्द प्रसाद यादव, निवासी ग्राम–चांदपुर, डाकघर–डाबुरग्राम, थाना–जसीडीह, जिला–देवघर (झारखण्ड)

... . याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची (झारखण्ड)
2. उपायुक्त, देवघर, डाकघर, थाना और जिला–देवघर (झारखण्ड)
3. उप–समाहर्ता (स्थापना), देवघर, डाकघर, थाना और जिला–देवघर (झारखण्ड)
4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालोजोरी, देवघर, डाकघर और थाना–पालोजोरी, जिला–देवघर (झारखण्ड) .... उत्तरदातागण

कारम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अमित कुमार वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री जगदीश, एस0सी0–I के ए0सी0

05 / 25.01.2021 श्री अमित कुमार वर्मा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं श्री जगदीश, उत्तरदाता राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम

से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को योग्यता के आधार पर सुना गया है।

3. याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने के लिए इस रिट याचिका को दायर किया है कि उनके योगदान को दिनांक 14.12.2017 के प्रभाव से स्वीकार्य किया जाय।

4. याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर देवघर समाहरणालय में दिनांक 04.07. 2009 के आदेश द्वारा ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता 2009 से सेवा में है। जिला स्थापना समिति द्वारा 14.12.2017 को उपायुक्त, देवघर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में, याचिकाकर्ता को ब्लॉक कार्यालय, पालोजोरी में देवघर जिला के विभिन्न ब्लॉक में तैनात अन्य ड्राइवरों के साथ स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 18.12.2017 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें ड्राइवर के रूप में काम करने से मौखिक रूप से इनकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12. 2017 को कारण बताओ नोटिस मिला, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने फिर से एक अभ्यावेदन दायर किया परन्तु बिना किसी कारण के, उसे काम करने की अनमति नहीं दी गई।

5. श्री वर्मा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि बिना किसी विभागीय कार्यवाही और मौखिक आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता को काम करने की अनुमति नहीं दी

गई। उन्होनें आगे कहा कि अब नया प्रक्कथन लिया गया है और उपायुक्त, देवघर के दिनांक 20.10.2020 के आदेश संख्या 5 के द्वारा याचिकाकर्ता को ब्लॉक कार्यालय, पालोजोरी में योगदान देने का निर्देश दिया है। हालांकि, उन्होनें इस तरह के टिप्पणियों में 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत का भी पालन किया है।

6. दिनांक 20.10.2020 का आदेश अभिलेख में नहीं है। इसे कोर्ट के ई–मेल पर लाया गया है, जिसे अभिलेख में लिया जा रहा है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस आशय के हैं कि यदि कोई आदेश मौखिक रूप से पारित किया जाता है, तो वह व्यक्ति के अधिकार में नहीं आएगा। उन्होनें यह भी कहा कि उपायुक्त, देवघर को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर फिर से विचार करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

8. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और दिनांक 20.10.2020 के उक्त आदेश को देखते हुए, रिट याचिका को, याचिकाकर्ता को उन निर्णयों सहित सभी साख को संलग्न करते हुए, जिन पर वह भरोसा कर रहा है, के साथ नया अभ्यावेदन आज से दो सप्ताह के भीतर दायर करने का निर्देश देने के साथ निस्तारित किया जा रहा है। यदि इस तरह का अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2, नियम, विनियम और दिशानिर्देश, विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुए

निर्णय लेंगे और उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे।

9. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)